प्रेस नोट दिनांक 22.08.2020

tuin ckxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

➤ **थाना बड़ौत पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ शातिर शराब तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक मसकट मय कारतूस, एक आल्टो कार मय 14 पेटी देशी शराब नाजायज बरामद।**

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

थाना बड़ौत– आज दिनांक 22–08–2020 को दोपहर समय करीब 14:35 बजे थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत चौकिंग के दौरान ग्राम शाहपुर बडौली से काशीराम कॉलोनी के रास्ते पर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में जवाबी पुलिस कार्यवाही के दौरान शातिर बदमाश शुभम जैन पुत्र विनोद जैन निवासी मोहल्ला आजादनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में गोली लगने से शुभम जैन घायल हो गया हैं। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध एक मसकट 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस, एक आल्टो कार नम्बर–डीएल–8सीएच–8763 मय 14 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज नाजायज बरामद हुई। अभियुक्त शुभम जैन शातिर किस्म का शराब तस्कर है। उल्लेखनीय है कि उक्त शातिर शराब तस्कर द्वारा दिनांक 03–08–2020 को शराब तस्करी के दौरान निवाड़ा चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से कार से टक्कर मारी गई थी। जिसमें एक उपनिरीक्षक बलराम यादव व एक कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभियुक्त शुभम जैन के विरुद्ध जनपद बागपत पर शराब तस्करी, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के करीब 21 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता–

शुभम जैन पुत्र विनोद जैन निवासी मोहल्ला आजादनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी–

1–एक मसकट 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस।
2–एक आल्टो कार नम्बर–डीएल–8सीएच–8763
3–14 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का।

अभियुक्त षुभम जैन का अपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0सं0 397/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
2–मु0अ0सं0 445/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
3–मु0अ0सं0 662/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
4–मु0अ0सं0 716/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
5–मु0अ0सं0 803/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
6–मु0अ0सं0 252/16 धारा 4/25 षस्त्र अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
7–मु0अ0सं0 151/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
8–मु0अ0सं0 421/16 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
9–मु0अ0सं0 509/16 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
10–मु0अ0सं0 743/16 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
11–मु0अ0सं0 836/16 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बडौत जनपद बागपत।
12–मु0अ0सं0 979/16 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
13–मु0अ0सं0 393/17 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
14–मु0अ0सं0 451/17 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना ट्रोनिका सिटी जनपद बागपत।
15–मु0अ0सं0 1027/17 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
16–मु0अ0सं0 485/18 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
17–मु0अ0सं0 1213/18 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
18–मु0अ0सं0 140/19 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

19–मु0अ0सं0 382/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
20–मु0अ0सं0 425/19 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।
21–मु0अ0सं0 598/16 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

➢ **जुआ अधिनियम में 09 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सटटा पर्चा, ताष के पत्ते, एक चाकू व 13750 रूपये बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को कस्बा टटीरी से ताष के पत्तों से हार–जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए अभियुक्त 1–नसीम पुत्र ताहिर 2–दीपक पुत्र अषोक 3–विकाष पुत्र जयप्रकाष 4–सुधीर पुत्र नेपाल निवासी गण कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से **ताष के पत्ते व 4290 रूपये बरामद किये** है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रमाला– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को ग्राम असारा मझेडा मार्ग से सटटे की खाई–बाडी करते हुए अभियुक्त 1–जुमेदीन पुत्र सलाउदीन 2–जाहिद पुत्र कययूम निवासी गण असारा थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से **सटटा पर्चा व 3750 रूपये व अभियुक्त जुमेदीन के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया** है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बडौत– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को बडा जैन मंदिर कस्बा बडौत के पास से सटटे की खाई–बाडी करते हुए अभियुक्त 1–मूलचन्द पुत्र बारू निवासी चौधरान कस्बा व थाना बडौत 2–बिजेन्द्र पुत्र ष्याम सिंह निवासी बडौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से **सटटा पर्चा व 5250 रूपये बरामद किये** है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना दोघट– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को ग्राम झुंडपुर से सटटे की खाई–बाडी करते हुए अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र नैनसिंह निवासी ग्राम झुंडपुर थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **सटटा पर्चा व 460 रूपये बरामद किये** है। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **थाना कोतवातली बागपत पुलिस द्वारा पषु अधिनियम में 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 केन्टर एक बोलेरो पिकअप मय क्रूरतापूर्वक भरे हुए 38 पषु बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को चैकिंग के दौरान दिल्ली सहारनपुर रोड से अभियक्त 1–संदीप पुत्र बलवान सिंह निवासी जठखोड थाना कन्झवाला दिल्ली 2–रिजवान पुत्र माजिद 3–दानिष पुत्र मौ0 अब्दूल निवासी गण पुराना कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत 4–बरकत पुत्र जुम्मा निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत 5–सरबर पुत्र रहीस 6–कासिम पुत्र नवाब निवासी गण बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **एक बोलेरो पिकअप, 02 केन्टर मय क्रूरतापूर्वक भरे हुए 38 पषु** बरामद किये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ **थाना दोघट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक केन्टर गाडी मय 49800 प्लास्टिक के खाली पव्वे, 48000 सील युक्त टक्कन, 48918 क्यूआर बार कोड, 32500 रेपर तोहफा ब्राण्ड मार्का नाजायज बरामद।**

थाना दोघट– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को चैकिंग के दौरान बामनौली चौकी से अभियक्त देषराज पुत्र कर्मसिंह निवासी गंगा विहार फेज–3 थाना बजदेडा जनपद गुरूग्राम हरियाणा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **एक केन्टर गाडी मय 49800 प्लास्टिक के खाली पव्वे, 48000 सील युक्त टक्कन, 48918 क्यूआर**

बार कोड, 32500 रेपर तोहफा ब्राण्ड मार्का नाजायज बरामद किये है। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा विघुत उपभोगताओं से अवैध वसूली करने वाला एक फर्जी विघुतकर्मी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को गौरीपुर मोड से अभियक्त अमित पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम टयोढी थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त थाना क्षेत्र में फर्जी विघ ुतकर्मी बनकर चैकिंग करता था तथा एफआईआर कराने के नाम पर विघुत उपभोगताओं को डराकर अवैध वसूली करता था। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **अवैध षराब तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक मो0सा0 व 03 पेटी देषी/अंग्रेजी षराब नाजायज बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को चैकिंग के दौरान ग्राम बाघू रोड से अभियुक्त लीलू पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **एक मो0सा0 डिस्कवर नम्बर–डीएल–3सीए–4976 मय 02 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का** नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रमाला– पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.2020 को ग्राम कासिमपुर खेडी से अभियुक्त दीपक पुत्र लहरी सिंह निवासी जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **एक पेटी अंग्रेजी षराब हरियाणा मार्का** नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त विरेन्द्र के कब्जे से घटना से सम्बन्धित एक तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 554/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 307, 336, 506 भादवि व 7 क्रिमनल लॉ एक्ट में वांछित अभियुक्त 1–विरेन्द्र पुत्र अतर सिंह 2–दीपान्षू पुत्र कृष्णपाल निवासी गण ग्राम नंगला बहलोलपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त विरेन्द्र के कब्जे से घटना से सम्बन्धित एक तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। व मु0अ0सं0 509/2020 धारा 452, 323, 325, 504, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त यषपाल पुत्र टीकाराम निवासी टटीरी थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।